



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21122021-232054
CG-DL-E-21122021-232054

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4935]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 21, 2021/अग्रहायण 30, 1943

No. 4935]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 21, 2021/AGRAHAYANA 30, 1943

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 दिसम्बर, 2021

सं. 47 / 2015-2020

विषय : स्कोमेट की अद्यतन स्थिति 2021-निर्यात और आयात मदों के आईटीसी (एचएस) वर्गीकरण, 2018 की अनुसूची-2 के परिशिष्ट-3 (स्कोमेट मदों) में संशोधन।

का.आ. 5326(अ).—विदेश व्यापार नीति, 2015-2020 के पैरा 1.02 के साथ पठित, यथा-संशोधित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992की धारा 5 और धारा 14क के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा इस अधिसूचना के अनुलग्नक में यथासंलग्न निर्यात और आयात मदों के आईटीसी (एचएस) वर्गीकरण, 2018 की अनुसूची-2 के परिशिष्ट-3 (स्कोमेट मदों) में संशोधन करती है।

2. इस अधिसूचना के अनुलग्नक सहित निर्यात और आयात मदों के आईटीसी (एचएस) वर्गीकरण, 2018 की अनुसूची-2 के अद्यतित परिशिष्ट-3 (स्कोमेट मदों) को डीजीएफटी के बेव पोर्टल पर शीर्षक "विनियामक अद्यतन स्थिति" और उप-शीर्षक "आयात, निर्यात और स्कोमेट नीति" (<http://www.dgft.gov.in/CP/?opt=itchs-import-export>) के तहत अपलोड किया जाएगा।

3. उद्योगों को परिवर्तन का समय प्रदान करने हेतु, यह अधिसूचना इसके जारी होने के 30 दिनों के बाद अर्थात् 19 जनवरी, 2022 से लागू होगी।

4. इस अधिसूचना का प्रभाव:

स्कोमेट की वार्षिक अद्यतन स्थिति—2021 को निर्यात और आयात मदों के आईटीसी (एचएस) वर्गीकरण, 2018 की अनुसूची-2 के परिशिष्ट-3 (स्कोमेट मदों) को संशोधित करने हेतु अधिसूचित किया गया है।

[फा. सं. 01/91/171/37/एम 10/ईसी/ई-65]

अमित यादव, महानिदेशक, विदेश व्यापार
एवं पदेन अपर सचिव

टिप्पणी : प्रधान अधिसूचना सं. 05 दिनांक 24 अप्रैल, 2017, अधिसूचना सं. 13 दिनांक 28 जून, 2017, अधिसूचना सं. 29 दिनांक 21 सितम्बर, 2017, अधिसूचना सं. 17 दिनांक 3 जुलाई, 2018, अधिसूचना सं. 04 दिनांक 24 अप्रैल, 2019 और अधिसूचना सं. 10 दिनांक 11 जून, 2020।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 20th December, 2021

No. 47/2015-2020

Subject : SCOMET Updates 2021-Amendment in Appendix 3 (SCOMET items) to Schedule-2 of ITC (HS) Classification of Export and Import Items, 2018

S.O. 5326(E).—In exercise of the powers conferred by Section 5 and Section 14A of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992, as amended, read with Para 1.02 of the Foreign Trade Policy 2015-2020, the Central Government hereby makes the amendment in Appendix 3 (SCOMET Items) to Schedule -2 of ITC (HS) Classification of Export and Import Items 2018, as enclosed in the Annexure to this Notification.

2. The updated Appendix 3 (SCOMET Items) to Schedule- 2 of ITC (HS) Classification of Export and Import Items, 2018 including annexure to this notification would be uploaded on the web-portal of DGFT under heading “Regulatory Updates” and Sub-heading “Import, Export and SCOMET policy” (<https://www.dgft.gov.in/CP/?opt=itchs-import-export>).

3. In order to provide transition time to the industry, this Notification shall come into effect after 30 days of the date of issuance i.e. 19th Jan, 2022.

4. Effect of this Notification:-

Annual SCOMET Update - 2021 has been notified to amend the Appendix 3 (SCOMET Items) to Schedule-2 of ITC (HS) Classification of Export and Import Items, 2018.

[F. No. 01/91/171/37/AM10/EC/E-65]

AMIT YADAV, Director General of Foreign Trade
& Ex-officio Addl. Secy.

Note: Principal Notification No. 05 dated 24th April 2017, Notification No. 13 dated 28th June 2017, Notification No. 29 dated 21st September 2017, Notification No. 17 dated 3rd July, 2018, Notification No. 04 dated 24th April, 2019 and Notification No. 10 dated 11th June 2020.